न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.–....78...../2024
संधेरी उर्फ सुनहरी पत्नी प्रकाश चन्द जाति मेघवाल निवासी बिरमी खालसा तहसील तारानगर।
– वादीनी –

वनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर जिला चूरू।
– प्रतिवादी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक ..03/07/24

वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा झांझणी तहसील तारानगर के खसरा सं. 896/129 तादादी 3.0348 हेक्ट. हैं। जिसमें वादीनी का नाम सुनहरी पत्नी प्रकाशचन्द्र अंकित है। जो गलत है, जबकि वादीनी का नाम संधेरी पत्नी प्रकाश चंद सही हैं। वादीनी का नाम आधार कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में संधेरी पत्नी प्रकाश चंद है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादीनी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादीनी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए वादीनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही झांझणी तहसील तारानगर के खसरा सं. 896/129 तादादी 3.0348 हेक्ट. में वादीनी का नाम संधेरी पत्नी प्रकाश चंद दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीनी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार वादीनी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। अब वादीनी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार से अपना नाम सुनहरी पत्नी प्रकाशचन्द्र के स्थान पर संधेरी पत्नी प्रकाश चंद करवाना चाहती है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम सुनहरी पत्नी प्रकाशचन्द्र ही दर्ज है। अतः वादीनी का नाम सुनहरी पत्नी प्रकाशचन्द्र के स्थान पर संधेरी पत्नी प्रकाश चंद दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादीनी के दस्तावेजीय नाम संधेरी पत्नी प्रकाश चंद्र पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा झांझणी तहसील तारानगर के खसरा सं. 896/129 तादादी 3.0348 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि वादीनी का नाम **सुनहरी पत्नी प्रकाशचन्द्र** के स्थान पर **संधेरी उर्फ सुनहरी पत्नी प्रकाश चंद** अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ..03/07/24..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)